भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2258**
19/12/2025 को उत्तरार्थ

**विषय: आंध्र प्रदेश में केले के किसानों द्वारा सामना की जा रही समस्या**

**2258. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:**

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केले की कीमतों में भारी गिरावट के कारण आंध्र प्रदेश के कडपा और अनंतपुर जिलों में केले के किसानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मार्च और अप्रैल 2025 में हुई बेमौसमी भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं के कारण उपरोक्त जिलों में हजारों एकड़ में फैली केले की फसल नष्ट हो गई है;

(ग) क्या मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी है कि केले की फसल पकने वाली है और दिसंबर 2025 में इसकी कटाई होगी; और

(घ) क्या सामान्य रूप से आंध्र प्रदेश के केले के किसानों तथा विशेष रूप से कडपा और अनंतपुर के किसानों की सुरक्षा और केले के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अब तक कोई कदम उठाए हैं?

**उत्तर**
**कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)**

(क): केले सहित बागवानी उत्पादों की कीमतें आपूर्ति और मांग, शीघ्र नष्ट होने की प्रवृत्ति, समय पर विपणन आदि कारकों से प्रभावित होती हैं। आंध्र प्रदेश में हाल के माह के लिए केलों का औसत थोक मंडी मूल्य (रुपए/क्विंटल में) नीचे दिए गए हैं।

| जनवरी-2025 | फरवरी-2025 | मार्च-2025 | अप्रैल-2025 | मई-2025 | जून-2025 | जुलाई-2025 | अगस्त-2025 | सितम्बर-2025 | अक्तूबर-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2709 | 3128 | 3291 | 3533 | 3652 | 3585 | 3022 | 3293 | 2873 | 2966 |

स्रोत: एगमार्कनेट

(ख): आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मार्च और अप्रैल 2025 में भारी बारिश, हवाओं और ओलावृष्टि के कारण 4639.80 एकड़ केले की फसल क्षतिग्रस्त हुई।

(ग): आंध्र प्रदेश में केले की फसल सामान्य रूप से वर्ष भर उगाई जाती है।

(घ): एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका कार्यान्वयन केले सहित बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है। एमआईडीएच के तहत, केले (सकर) के क्षेत्र विस्तार के लिए, रोपण सामग्री और कीट प्रबंधन पर होने वाले व्यय को पूरा करने हेतु अधिकतम 1.10 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की लागत का 40% तक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा फसलोपरांत प्रबंधन (पीएचएम) के आधारभूत संरचना सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें पैकहाउस, कोल्ड रूम, प्री-कूलिंग यूनिट, नियंत्रित-वातावरण (सीए) भंडारण, राइपनिंग चैम्बर्स और रेफ्रिजरेटेड परिवहन शामिल हैं।

सरकार ने खरीफ 2016 से उपज आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) प्रारंभ की है ताकि प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के कारण फसल नुकसान/क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके और किसानों की आय को स्थिर किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत बुआई पूर्व से लेकर फसलोपरांत होनी वाली क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) राज्यों के साथ-साथ किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है।

केला न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अंतर्गत नहीं आता है। सरकार, पीएम-आशा योजना के अंतर्गत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) का कार्यान्वयन करती है, जिसका उपयोग केले सहित उन कृषि और बागवानी उत्पादों की खरीद के लिए किया जाता है जो शीघ्र नष्ट होने वाली प्रवृत्ति के होते हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आते हैं। इस हस्तक्षेप का उद्देश्य इन वस्तुओं के उत्पादकों को उस स्थिति में संकटग्रस्त बिक्री से बचाना है जब फसल की भरपूर पैदावार अवधि के दौरान कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं।

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि वे वर्तमान स्थिति पर सक्रिय रूप से नज़र रखे हुए हैं और केला उत्पादक किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तत्काल उपाय कर रही हैं।

(i) राज्य सरकार द्वारा मूल और रैटून दोनों फसलों की उचित कीमतों पर खरीद सुनिश्चित करने ने जिला प्रशासन, स्थानीय व्यापारियों और निर्यातकों के साथ कई बैठकें की गई है।

(ii) राज्य ने उत्तर भारतीय बाजारों में, जिनमें एपीएमसी, आज़ादपुर, दिल्ली शामिल हैं, के खरीदारों और विक्रेताओं की बैठकें आयोजित की हैं और आंध्र प्रदेश के केलों के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा के प्रमुख एग्रीगेटरों/व्यापारियों के साथ बातचीत की है। इसके परिणामस्वरूप, उत्तर भारतीय एग्रीगेटरों ने आंध्र प्रदेश से माल खरीदना प्रारंभ कर दिया है।

(iii) राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि प्रतिदिन 4,000 मीट्रिक टन से अधिक केलों की खरीद व्यापारियों और निर्यातकों द्वारा की जाती है और कडपा और अनंतपुरम जिलों से उत्तर भारतीय बाजारों और मध्य पूर्व देशों में भेजे जाते हैं। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप कीमतों में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। पिछले सप्ताह में कीमतों में 4,000 रुपये से 6,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है और उच्च गुणवत्ता वाली मूल फसल की उपलब्धता के साथ दिनांक 15 दिसंबर से कीमतों में और अधिक वृद्धि होने की उम्मीद है।

(iv) इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार किसानों को फलों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए अपनाई जाने वाली कृषि पद्धतियों के बारे में शिक्षित कर रही है और फलों की देखभाल संबंधी गतिविधियों, अच्छी कृषि पद्धतियों (जीएपी) प्रमाणन आदि के लिए प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

*****